Ruling regarding notices of Adjournment Motion

श्री मनीश तिवारी **(**चंडीगढ़**) :** सर, हमारा एडजर्नमेंट मोशन है । बहुत सेन्सेटिव है, चीन ने पैंगोंग त्सो पर ब्रिज बनाया है । दो मिनट का समय दीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वैसे मैं समय नहीं मागता हूं । परिस्थिति बहुत सेन्सेटिव है । मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है ।

माननीय अध्यक्ष: नियम के तहत मैं व्यवस्था दे दूं । वे एडवोकेट हैं, उनको व्यवस्था देनी पड़ती है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** मैंने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी है । आप सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं । मैंने व्यवस्था दे दी है और स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं विषय देख लूंगा ।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी**:** मैं दो मिनट का समय मांग रहा हूं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** एडवोकेट डीन कुरियाकोस ।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी**:** मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** शून्य काल में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है । आप सीनियर एडवोकेट और मैम्बर हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** भर्तृहरि महताब जी, जरा इनको बता दें कि शून्य काल में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है ।

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I am representing the constituency of Idukki, very similar to Wayanad. One person has already died due to heavy rains there. That is why, I have mentioned the Wayanad case also in the `Zero Hour?. I have given the Adjournment Motion notice also.

HON. SPEAKER: No.